कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–1/692/2013/10–11/818 भोपाल, दिनांक 20/03/18

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी,
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.),
वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– **Proposal for diversion of 201.079 hectares of forest land for Tawa-II underground coal mining in favour of M/s.- Western Coalfields Limited, Pathakhera in Betul District State of Madhya Pradesh.- reg.**

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक/F.No.8-52/2017-FC दिनांक 16/03/2018

--0--

महोदय,

आपके संदर्भित पत्र दिनांक 16.03.2018 से 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. भाग–4 में नोडल अधिकारी तथा भाग–5 में राज्य शासन की अनुशंसा निर्धारित स्थान पर अपलोड नहीं हो पा रही है। अतः इसे भाग–2 में बिन्दु क्रमांक 13 में अतिरिक्त जानकारी के कॉलम क्रमांक 1 एवं 2 में अपलोड कर दिया गया है।
2. इस सम्बन्ध में आवेदक संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित खदान तवा–2 भूमिगत खदान जो 195.20 हेक्टेयर की है, का विस्तार है। अतः इस प्रस्ताव में चाही गई 201.079 हेक्टेयर वन भूमि भूमिगत कोयला खनन के लिये आवश्यक है। इस चाही गई भूमि में किसी प्रकार का अन्य कार्य नहीं किया जायेगा (छायाप्रति संलग्न)।
3. शोभापुर खदान, रकबा 90.00 हेक्टेयर की प्रथम चरण की स्वीकृति आपके द्वारा दिनांक 30.01.2012 को जारी की गई थी। इस औपचारिक स्वीकृति की शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान ने आज तक प्रस्तुत नहीं किया है। आवेदक संस्थान ने दाण्डिक राशि में छूट के लिये आपको आवेदक किया था। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2831 दिनांक 30.12.2016 से इसे अमान्य करने का अभिमत भेजा है (छायाप्रति संलग्न)।

आपके द्वारा चाही गई जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

20/3/18

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय,पाथाखेडा क्षेत्र,
तह-घोडाडोंगरी, जि: बैतूल- ४६०४४९
email:cgmpkda@rediffmail.com
Website : http://westerncoal.nic.in
Ph. No: 07146 – 271363 [Fax:07146-270566]

Ref. No. WCL/PKD/AGM/PLG/2018/	Date: 05/02/2018

प्रति,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भूप्रबंध)
सतपुडा भवन, भोपाल।

विषयः– Proposal for diversion of 201.079 Ha. of forest land for Tawa-II underground coal mining in favour of M/s Western Coalfields Limited, Pathakhera in Betul District State of Madhya Pradesh.

संदर्भः– MOEF letter No. F.No. 8-52/2017-FC date 24/01/2018

महोदय;

MOEF & CC New Delhi has sought following information and clarification regarding proposal for diversion of 201.079 Ha. of forest land for Tawa-II underground coal mine

(i) It is observed that the part II & III have been signed by the respective authorities on 31.07.2017 and 11.08.2017 whereas the part-IV and V signed on 08.12.2016 and 27.12.2016 i.e. prior to signed by DF/CCF. Therefore, it may be confirmed that the State Govt. has approved the revised proposal and, if so, the revised/latest part-IV and part-V may be uploaded on the website. The signed copies of the same may be given to this Ministry.

It is requested to provide revised part IV part V to MOEF & CC New Delhi

(ii) The purpose wise break up for proposed forest land may please be given.

Sl. No.	Proposed Forest Land	Purpose
1	**201.079 Ha.**	**Only for Underground Mining**

Proposed forest land is for expansion of Tawa-II UG mine and 195.20 Ha FC (FC No. 8/97/10/3 dt 09.08.1999) obtained for Tawa-II mine in which 12.708 Ha for surface and other infrastructure development.

आपकी ओर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

5/2/18

क्षेत्रीय महाप्रबंधक
पाथाखेडा क्षेत्र

1

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 56 / 78 / 10–11 / 2831 भोपाल, दिनांक 30-12-16

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.)
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– **Diversion of 90.00 ha of forest land for renewal of mining lease out of 122.029 ha forest land at Pathakhera in Betul District of Madhya Pradesh for which surface rights were given earlier, in respect of Shobhapur underground mine in favour of M/s Western Coalfields Limited.**

संदर्भः– भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-102/2004-FC, दिनांक 21.09.2016

––0––

महोदय,

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि :–

- मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा 5 गुने क्षेत्र में दाण्डिक वृक्षोरापण से छूट प्रदान करने हेतु भारत सरकार, नई दिल्ली को अपने पत्र दिनांक 23.06.2016 से अनुरोध किया गया है, जिस पर आपके द्वारा संदर्भित पत्र से विभाग का अभिमत चाहा गया है।
- मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1973 में कोल बियरिंग एरिया एक्ट, 1957 के तहत लगभग 7800 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी। बैतूल वृत्त के अंतर्गत उत्तर बैतूल वन मंडल में 122.029 हेक्टेयर वन भूमि पर वर्ष 1980 के पूर्व से मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा खदान संचालित की जा रही थी।
- इस खदान की लीज अवधि 1973 से 2003 तक 30 वर्ष की थी। वर्ष, 2003 में लीज अवधि समाप्त होने पर मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 90.00 हेक्टेयर वन भूमि पर नवीनीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिस पर भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 8-102/2004-FC, दिनांक 30.01.2012 से प्रकरण में प्रथम चरण सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस सैद्धान्तिक अनुमोदन पत्र में भारत सरकार द्वारा शर्त क्रमांक 2(ii) में दुगने बिगड़े वन क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण तथा शर्त क्रमांक 2(ix) में 5 गुने वन क्षेत्र में दाण्डिक वृक्षोरोपण की शर्त अधिरोपित की गई है।

उपरोक्त संदर्भ में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का अभिमत यह है कि मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 23.06.2016 में यह लेख किया है कि वैकल्पिक वृक्षारोपण पूर्व में किया जा चुका है तथा इस हेतु रू.10,000 प्रति हेक्टेयर की दर से रू. 12.05 लाख की राशि वन विभाग को दे दी गई है। राज्य शासन द्वारा रू.4000 / – प्रति एकड़ की दर से रू.12,05,648 / – की राशि मुआवजे के तौर पर ली गई है न कि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु। अतः मेसर्स वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का इस बिन्दु पर शर्त क्रमांक 2(ii) विलोपन की मांग सही नहीं है। इसी प्रकार शर्त क्रमांक 2(ix) में 5 गुने क्षेत्र में दाण्डिक वृक्षारोपण की शर्त के

–2–

संबंध में मेसर्स वेर्स्टन कोल फील्ड्स लिमिटेड का कथन यह है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल के अनुसार लीज अवधि वर्ष, 2003 में समाप्त हो जाने के बाद भी मेसर्स वेर्स्टन कोल फील्ड्स लिमिटेड की इस क्षेत्र में गतिविधियां जारी होने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन बनता है। अतः दाण्डिक वृक्षारोपण रोपण की शर्त के विलोपन की मांग सही नहीं है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

27/12

(सुनील अग्रवाल)

पृ0 क्रमांक/एफ–1/56/78/10–11/2832 भोपाल, दिनांक 30-12-16

प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त, बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल, उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।
3. जनरल मैनेजर (माइनिंग) एल & आर, मेसर्स वेर्स्टन कोल फील्ड्स लिमिटेड, कोल एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर–440001
4. उप क्षेत्रीय प्रबंधक, शोभाक्षेत्र, पाथाखेड़ा क्षेत्र, वेर्स्टन कोल फील्ड्स लिमिटेड पाथाखेड़ा, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

27/12

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

O/C
27/12/16

D:\Section F-1.docx